न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 133/2023

GCMS No. : 2023/280

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर		1. श्री रामयादव पुत्र राजदेव यादव मैनेजर (On board catering services Train no 16312 KCVL SGNR Express c/o m/s Deepak & company A-16 chander vihar opposite rama krishna appartment IP extention patpar ganj East delhi 110092) Home Address-Vill & po purahara dist-Aurangabad bihar 824120 2- Mr. Raju ram s/o vaijani ram nominee m/s Deepak & company A-16 chander vihar opposite rama krishna appartment IP extention patpar ganj East delhi 110092 Home Add-Vill Agbara barwata jamui bihar 811307 3- M/S Deepak & company A-16 chander vihar opposite rama krishna appartment IP extention patpar ganj East delhi 110092 4- Mr. K Raja Kumar managing Director chamarajanagara Dist- Co Operative Union Ltd Kuderu village & Post santhemarahalli hobli Chamarajanagara 571316 Home Add-B 2 dairy Quartters Chamarajanagara dist- co operative Milk producers societies union Ltd Kuderu village & post sathemarahalli Hobli chamarajanagara 571316 5. Chamarajanagara co operative Milk cha producers societies union Ltd Kuderu village & post sathemarahalli Hobli chamarajanagara 571316

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51 व 52"

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रार्थी भी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1 (42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए. आई (पार्ट–I) रेल्वे एफएसएसएआई दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 28.11.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म Deepak & company के पैन्टीकार On board catering services Train no 16312 KCVL SGNR Express के प्लेटफार्म नम्बर 01 रेल्वे स्टेशन पाली मारवाड जंक्शन पहुंचा। जहां पर रामयादव पुत्र राजदेव यादव आमजन को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Tetra Pack Toned milk nandini Good life खाद्य सामग्री तैयार करने और तैयार खाद्य पदार्थ यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Toned milk nandini Good life का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने से साथ आये गणपत एच के ए अधीन स्वास्थ्य निरीक्षक जोधपुर को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Toned milk nandini Good life का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Toned milk nandini Good life के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 124/– रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 रामयादव को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर रामयादव, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Toned milk nandini Good life नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं रामयादव की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर रामयादव गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–993 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं रामयादव व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को गणपत एच. के. ए.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधीन सी.एच.आई जोधपुर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। रामयादव ने उक्त नमुने के संबंध में अग्रिम खरीद व संबंधित सप्लायर निर्माता आदि के संबंध में दस्तावेज मांगने पर खरीद बिल व संबंधित सप्लायर निर्माता से संबंधित दस्तावेज पेश करने मे असमर्थता व्यक्त की। रामयादव की दुकान से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–993 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1998/एक्ट/2015/1998 दिनांक 02.12.2022 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Toned milk nandini Good life का विक्रय/विनिमय/उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं समस्त अभिलेखों, दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म Deepak & company के पैन्टीकार On board catering services Train no 16312 KCVL SGNR Express के प्लेटफार्म नम्बर 01 रेल्वे स्टेशन पाली मारवाड जंक्शन पर पहुचा जहा पर रखें Toned milk nandini Good life में मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Toned milk nandini Good life का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमुना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 998 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Toned milk nandini Good life का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 998 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Toned milk nandini Good life का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) Under Section 3(1)(zf)(c)(i) As Per Food Safety And Standards Act 2006 पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक प्रेषित कि जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु प्रार्थना पत्र नहीं किये जाने से प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो न्यायोचित है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 01

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

कि फर्म से एफएसएसएआई के नियमों के तहत नमूना लेकर विधिवत तरीके से खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, उपरोक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Toned milk nandini Good life के लेबल पर उत्पादन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अंकन है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फर्म का पता पुर्ण नहीं लिखा गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एंव लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2.2(एफ) का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लघन पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है उक्त कृत्य 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप Toned milk nandini Good life का विक्रय/विनियमन/उत्पादन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक प्रत्येक पर 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 04 व 05 पर संयुक्तरूप से 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपयें कुल 3,50,000/- अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली